

ORIENTAL	FROM: PENSION DEPARTMENT HEAD OFFICE NEW DELHI.	TO: PENSION CELL ALL RO'S/ OSTC/ HO(ADMN.)	DATE: 12.02.2018
----------	---	--	---------------------

DEPTT.: PENSION
REF.: HO/PEN/01/2018/CR- 8150

Re.: DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS W.E.F. 01/02/2018 TO 31/07/2018

As per the provisions of the General Insurance (Employees) Pension Scheme 1995, the Dearness Relief is payable to the eligible Pensioners at All India Average Consumer Price Index of 6551 w.e.f. 1st day of Feb 2018. Consequently, the increased Dearness Relief payable to the Pensioners from 01/02/2018 shall be as under:

- A) (i) Pensioners who have retired on or before 31/07/1992 as Class III & IV employees and the pensioners who have retired on or before 31/03/1993 as Class I & II employees; and
(ii) Pensioners who have retired as Class III & IV during the period between 01/08/1992 to 31/10/1993 and Class I & II employees who have retired during the period between 01/04/1993 & 31/10/1993 and if they have exercised the option not to be governed by General Insurance (Employees) Pension (Third Amendment) Scheme, 1999.

Basic Pension			No. of Slabs (Over AIACPI 600 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate		
Upto	1,250.00		1487	996.29% of Basic Pension		
From	1,251.00	to 2,000.00	1487	12453.63	+	817.85% of Basic Pension in excess of 1,250.00
From	2,001.00	to 2,130.00	1487	18587.60	+	490.71% of Basic Pension in excess of 2,000.00
Above	2,130.00		1487	19225.42	+	252.79% of Basic Pension in excess of 2,130.00

- B) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1148 points of index or who have retired during the period from 01/11/1993 to 31/07/1997.

Basic Pension			No. of Slabs (Over AIACPI 1148 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate		
Upto	2,400.00		1350	472.50% of Basic Pension		
From	2,401.00	to 3850.00	1350	11340.00	+	391.50% of Basic Pension in excess of 2,400.00
From	3,851.00	to 4,100.00	1350	17016.75	+	229.50% of Basic Pension in excess of 3,850.00
Above	4,100.00		1350	17590.50	+	121.50% of Basic Pension in excess of 4,100.00

- C) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1740 points index or who have retired on or after 01/08/1997.

Basic Pension			No. of Slabs (Over AIACPI 1740 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate		
Full Basic Pension			1202	0.23% of Basic Pension		

- D) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2326 points index or who have retired on or after 01/08/2002.

Basic Pension			No. of Slabs (Over AIACPI 2328 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate		
Full Basic Pension			1055	0.18% of Basic Pension		

- E) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2944 points index or who have retired on or after 01/08/2007.

Basic Pension			No. of Slabs (Over AIACPI 2944 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate		
Full Basic Pension			901	0.15% of Basic Pension		

contd....


4

F) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 4709 points index or who have retired on or after 01/08/2012.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 4709 in the series of 1980=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	480	0.10% of Basic Pension


G) Dearness relief payable on Ex-gratia to surviving pre-1986 retirees w.e.f. 01.02.2018.
Dearness Relief Payable on Ex-gratia to eligible Pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2018 shall be ` 3487/- You are advised to release an amount of ` 3637/- (Ex-Gratia ` 350/- + D.A. ` 3487/- pm) to all eligible Pre-1986 retirees from 01/02/2018 to 31/07/2018 payable on or after the 1st of the month following the month in which it becomes due.
Please acknowledge

Source: Cir. HO/Pers/DA/2018/04/CR-8148 dated 07.02.2018



(HINDI VERSION FOLLOWS)

Dy. Gen Manager





पेंशन विभाग
प्रधान कार्यालय
नई दिल्ली

प्रातः
पेंशन कक्ष,
सभी क्षेत्र/ओपस्टडीसी/
प्रधान कार्यालय (प्रशासन)

दिनांक :
12/02/2018

विभाग: पेंशन

संदर्भ: प्र.का.पेंशन/01/2018/तीआर- 8150

विषय: 01/02/2018 से 31/07/2018 तक पेंशन श्रेणियों को देय मंटेगाई राहत ।

साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार 01 फरवरी, 2018 से अखिल भारतीय अंतरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6551 के आधार पर पात्र पेंशनभोगियों को मंटेगाई राहत देय है। परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मंटेगाई राहत पेंशनभोगियों को दिनांक 01/02/2018 से निम्न प्रकार से देय होगी:

(1) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/07/1992 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/03/1993 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी तथा

(2) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/08/1992 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/04/1993 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और यदि उन्होंने साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (तृतीय संशोधन) योजना 1999 द्वारा अधिशासित न होने का विकल्प चुना है।

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 600 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
1250/- तक	1487	मूल पेंशन का 99.29%
1251/- से 2000/- तक	1487	12453.63 + 1250 से अधिक की मूल पेंशन का 817.85%
2001/- से 2130/- तक	1487	18587.50 + 2000 से अधिक की मूल पेंशन का 490.71%
2130/- से अधिक	1487	19225.42 + 2130 से अधिक की मूल पेंशन का 252.79%

ख. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 1148 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/11/1993 से 31/07/1997 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1148 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
2400/- तक	1350	मूल पेंशन का 472.50%
2401/- से 3850/- तक	1350	11340.00 + 2400 से अधिक की मूल पेंशन का 391.50%
3851/- से 4100/- तक	1350	17016.75 + 3850 से अधिक की मूल पेंशन का 229.50%
4100/- से अधिक	1350	17590.50 + 4100 से अधिक की मूल पेंशन का 121.50%

ग. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 1740 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/1997 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1740 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	1202	मूल पेंशन का 0.23%

घ. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 2328 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2002 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 2328 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	1055	मूल पेंशन का 0.18%

ड. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 2944 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 2944 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	901	मूल पेंशन का 0.15%

च. पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन की गणना सूचकांक के 4709 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पेंशन	स्लेबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 4709 से अधिक)	मंटेगाई राहत दर
पूर्ण मूल पेंशन	460	मूल पेंशन का 0.10%

च. वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि पर देय मंटेगाई राहत दिनांक 01/02/2018 से प्रभावी: 01/02/2018 से वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि पर देय मंटेगाई राहत 3487/- होगी। निर्देश है कि वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को 3837/- (350/- अनुग्रह राशि + 3487/- प्रति माह मंटेगाई राहत) की दर से 01/02/2018 से 31/07/2018 तक भुगतान करें जो राशि देय होने के अगले माह की पहली तारीख या उसके पश्चात देय होगी।

कृपया धारते हैं।

स्रोत : परिपत्र: एचओ/कॉमिंड/डीए/2018/04/परि.8148 दिनांक 07.02.2018

C:\Users\109228\Desktop\Pension\DA Feb.2018 Hindi (Pension).doc

श्री. शशि लाल
उप महाप्रबंधक
श्री. शशि